# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 244 / 2020 अपील (GCMS 2020/00260)
**पंजीयन दिनांक**– 08 / 07 / 2020
**निर्णय दिनांक**– 05 / 03 / 2024

1. श्री दीपलाल पिता कन्नीराम ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

**–अपीलांट**

**बनाम**

1. श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

**–रेस्पोडेंट**

उपस्थितिः–

1. श्री खेमराज डांगी — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयकृष्ण दवे — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उप जिला कलक्टर, मावली, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 75 / 2013 निर्णय दिनांक 13.05.2016

## निर्णय

दिनांक 05 / 03 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, मावली, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 75 / 2013 निर्णय दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 06.07.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि

राजस्व ग्राम घासा, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 6066/4190 रकबा 0.17 बिस्वा किस्म बंजड स्थित है उक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के सीमा पर जो थौहर लगे हुए थे, वो नष्ट हो गये, और पत्थरों का कोट था वे भी बिखर गया है, उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जाना आवश्यक है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 75/2013 निर्णय दिनांक 13.05.2016 से सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाने के आदेश पारित किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***"प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है, कि मौजा घासा, पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 6066/4190 रकबा 17 बिस्वा भूमि की चारों दिशाओं की पत्थरगढ़ी कर सीमांकन किया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपये कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। मौके पर कब्जे का विवाद हो तो डिस्टर्ब किये बिना पुनः पालना प्रस्तुत करें।"***

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री जयकृष्ण दवे उपस्थित,

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.02.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व साक्ष्य जवाब हेतु पेशी दिनांक 28.11.2014 की नियत की गई। उसके बाद साक्ष्य हेतु चलती रही व साक्ष्य प्राप्ती हेतु तारीख दिनांक 16.05.2016 नियत की गई। उसके पूर्व ही कथित पत्रावली बिना किसी सूचना के तारीख दिनांक 18.04.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प घासा में दिनांक 13.05.2016 को रखी जाकर आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त थे, जो नियत तारीख 16.05.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तो बताया गया कि पत्रावलियां अभियान में जा रही है, अतः बाद में पता कर लेना उसके बाद भी अपीलांट की ओर से पेशी का पता करने के लिए कई बार प्रयत्न किये गये, लेकिन पत्रावली का पता नहीं चला, न आगे पेशी दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित पत्रावली लोक अदालत में बिना किसी सूचना के रखी जाकर बिना सूने व साक्ष्य लिये बिना कथित निर्णय पारित पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में पूर्व सरपंच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट दीपलाल के हस्ताक्षर नही होने तथा कैम्प में उपस्थित नही होने एवं उनकी पहचान नही करने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम घासा, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 6066/4190 रकबा 0.17 बिस्वा किस्म बंजड स्थित होकर उक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार था। उक्त आराजीयात के सीमा पर जो थौहर लगे हुए थे, वो

नष्ट हो गये थे और पत्थरों का कोट था वो भी बिखर गया था। पक्षकारान के खेतो के बीच के निशानात नहीं होने से हमेशा सीमा को लेकर झगडा होता रहता था। उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.2016 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को पेश की है, परंतु न्यायहित में अपीलांट के प्रार्थना पत्र तथा अखिण्डत शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- अधिवक्ता अपीलांट दस्तावेज पेश किये गये। उक्त दस्तोवज राजकीय एवं प्रकरण से संबंधित होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

- अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर राजस्व ग्राम घासा, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 6066/4190 रकबा 0.17 बिस्वा की पत्थरगढ़ी कराये जाने बाबत निवेदन किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 75/2013 निर्णय दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त अपील में वर्णित पक्षकरान एवं आराजी संख्या 6066/4190 से संबंधित एक अन्य प्रकरण में भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के

निर्णय दिनांक 06.08.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में मुकदमा संख्या 2020/2613 अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनवान श्री दीपा पिता कन्नीराम ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उययपुर बनाम श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य विचाराधीन होकर दिनांक 18.02.2021 से प्रकरण में भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2019 में अंकित विवादित आराजी की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान तक निरंतर जारी है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार उक्त अपील निर्णित की जाकर उभयपक्षों का निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के मुकदमा संख्या 2020/2613 अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनवान श्री दीपा पिता कन्नीराम ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उययपुर बनाम श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य में उक्त वर्णित विचाराधीन प्रकरण मुकदमा संख्या 2020/2613 में निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित करेंगे। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
**संभागीय आयुक्त**
**उदयपुर**